



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, फरवरी 7, 2013/माघ 18, 1934

No. 308]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2013/MAGHA 18, 1934

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2013

का.आ. 332(अ).—भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2297(अ), तारीख 25-9-2012, द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में लिंगाला-काइकालूरू पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर लिया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनों बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइनों बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनों बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूचा

गेल (इडिया) लिमिटेड				
इंटर कनक्शन ऑफ लिगाल - ककलूर एसालटड फिल्ड ग्रिड वित्त एग्जास्टिंग				
के.जि.बेसिन पैप लैन नेट वर्क				
जिला	मंडल	गाँव	सर्वे न. /सब डिविजन न.	उ.का.अ. के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
कृष्ण	मुदिनेपल्लि	1 चिगुरुकोट	367/2अ	0.065
			348/1अ1	0.040
			348/1अ2	0.040
			372	0.040
			Total	0.185
कृष्ण	मुदिनेपल्लि	2 वडलि	118	0.040
			138	0.219
			117	0.093
			110/2	0.121
			110/3	0.069
			110/5	0.032
			109/5	0.142
			109/6	0.057
			108/4	0.065
			108/3	0.089
			105/7	0.049
			104	0.012
			86/2	0.061
			86/1	0.150
			86/4	0.045
			90/2	0.093
			91/2	0.032
			92/3	0.077
			86/3	0.162
			92/1	0.077
			92/5	0.081
			93/6	0.077
			93/7	0.061

कृशण	मुदिनेपल्लि	2 वडलि	76	0.069
			196	0.061
			197	0.028
			197	0.045
			198	0.049
			199/1बि	0.045
			199/2	0.069
			200/1	0.077
			200/3	0.109
			201/2	0.081
			203	0.028
			Total	2.563
कृशण	मुदिनेपल्लि	3 चेवुरु	86	0.142
			Total	0.142

[सं. एल-14014/15/12-जीपी भाग-1]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2013

S.O. 332(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. No. 2297 (E) dated 25.09.12 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Govt. of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Lingala-Kaikaluru pipeline for the transportation of natural gas in the State of Andhra Pradesh by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section(1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Govt. of India;

And whereas Govt. of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Govt. of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Govt. of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipelines shall, instead of vesting in the Govt. of India, vest, on the date of the publication of the declaration, in GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

GAIL (INDIA) LIMITED

INTER CONNECTION OF LINGALA - KAIKULURU ISOLATED FIELD GRID WITH EXISTING
K.G.BASIN PIPE LINE NET WORK

District	Mandal	Village	Survey No.	Extent (In Hectares)
1	2	3	4	5
Krishna	Mudinepalle	1 Chigurukota	367/2A	0.065
			348/1A1	0.040
			348/1A2	0.040
			372	0.040
			Total	0.185
Krishna	Mudinepalle	2 Vadali	118	0.040
			138	0.219
			117	0.093
			110/2	0.121
			110/3	0.069
			110/5	0.032
			109/5	0.142
			109/6	0.057
			108/4	0.065
			108/3	0.089
			105/7	0.049
			104	0.012
			86/2	0.061
			86/1	0.150
			86/4	0.045
			90/2	0.093
			91/2	0.032
			92/3	0.077
			86/3	0.162
			92/1	0.077
			92/5	0.081
			93/6	0.077
			93/7	0.061

508 GI/13-2

Krishna	Mudinepalle	2 Vādali	76	0.069
			196	0.061
			197	0.028
			197	0.045
			198	0.049
			199/1B	0.045
			199/2	0.069
			200/1	0.077
			200/3	0.109
			201/2	0.081
			203	0.028
			Total	2.563
Krishna	Mudinepalle	3 Chevuru	86	0.142
			Total	0.142

[No. L-14014/15/12-GP Part-I]

A. GOSWAMI, Under Secy.